14.34 hrs.

RESTORATION OF PLACES OF RELIGIOUS WORSHIP BILL

by Shri Prakash Vir Shastri

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ लोगों अथवा समुदायों द्वारा अधिकृत धार्मिक पूजा स्थानों को उनके मूल स्वामियों को लौटाने का उपबन्ध करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति दी जाये।

The Deputy Minister of Law (Shri Hajarnavis): I oppose the introduction of this Bill and I might be allowed to make a brief statement.

Mr. Deputy-Speaker: Let me place the motion before the House. Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the restoration of places of religious worship in the possession of certain persons or communities to the original rightful owners thereof."

Shri Hajarnavis: Government do not think that it is correct that places of worship which are in possession of other communities or persons should be interfered with by legislation of the type which the hon. Member has in view. It is violative of the constitutional guarantees, and Government have very grave doubts as to whether it can be done in the form in which the hon. Member seeks to do it. Therefore, we oppose this motion.

You will see that the operative part of the Bill is that part of the Viswanath Temule converted into a mosque in the town of Varanasi in U.P. should now vest in the Hindu community and should be taken away from the Muslims. Government do not think that this is a correct approach to the rights which have been guaranteed under the Constitution.

Mr. Deputy-Speaker: Does the hon. Minister mean to say that it would be *ultra vires* or that it would violate the provisions of the Constitution?

Shri Hajarnavis: Firstly, it would be *ultra vires*, and then again, the approach is, as I said, not quite correct.

Mr. Deputy-Speaker: Would the hon. Member like to say anything?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमान, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के धार्मिक स्थान केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं हैं बल्कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे धर्म स्थान हैं जिन पर दूसरों ने अधिकार किया हुआ है और इस कारण एक वर्ग विशेष में बहुत बड़ा असंतोष है। अगर सरकार इस दिशा में कुछ पग नहीं उठाएगी तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल पर विचार किया जाए और इसको पास किया जाए।

Mr. Deputy-Speaker: Any other hon. Member wishing to say something about it? None.

The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the restoration of places of religious worship in the possession of certain persons or communities to the original rightful owners thereof".

The motion was negatived.

14.36 hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 198) by Shrimati Subhadra Joshi—Contd.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further consideration of the motion moved by Shrimati Subhadra Joshi on the 11th September, 1959, namely:

> "That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898, be taken into consideration".

Out of 1½ hours allowed for the discussion of the Bill, 12 minutes have

already been taken up on the 11th September, 1959 and one hour and 18 minutes are now available.

Shrimati Subhadra Joshi may continue her speech.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : *उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने सदन में अर्ज किया था कि हमने जो पुराना कानून बनाया था उसमें हमने यह कहा था कि जो पुरुष एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करेगा या जो स्त्री एक पति के रहते हुए दूसरी शादी करेगी उन दोनों को कानून के अनुसार सजा मिलेगी ? मैंने यह भी अर्ज किया था कि हिन्दुस्तान में पहली मर्तबा ही इस तरह का कानून बनाया गया है कि जिसमें स्त्रियों को इस तरह रिलीफ दिया गया है और उनकी इस तरह हिफाजत की गयी है। लेकिन एक चीज हम उस वक्त करना भूल गये वह यह कि हमने एक सुराख छोड़ दिया। उस कानून में यह दिया गया है कि अगर किसी पत्नी का पति दूसरी शादी करता है तो जब तक उसकी पत्नी ही उस पर मुकदमा नहीं करती तब तक उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। हमारे सामने जब डाइवोर्स बिल आया तो यह सवाल उठा था कि अगर पत्नी और पति दोनों राजी हो जाएं तो क्या उनको तलाक देने की इजाजत मिल सकती है। उस वक्त हाउस ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था इसलिए कि ऐसा न हो कि पति पत्नी पर दबाव डाल कर किसी तरह से मंजूरी ले ले और अदालत में जाकर तलाक पेश कर दे। उस वक्त हमने यह महसूस किया था कि आज हिन्दुस्तान की स्त्री में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुरत नहीं है कि वह पति के दबाव को बरदाश्त कर सके। और ऐसा न हो कि पति उससे जबरदस्ती तलाक ले ले। पर जब हमने यह शादी का कानून बनाया जिसमें हमने कहा कि एक पत्नी के रहते हुए किसी पुरुष की दूसरी शादी नहीं हो सकती, तो हम उसमें इस चीज को बिल्कुल भूल गए कि हिन्दुस्तान की स्त्री को कितना ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। वह कितनी असहाय और निर्बल है। यह आपके सामने रखते हुए मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि दूसरे देशों में जहां कि स्त्रियों बहुत हिम्मत रखती हैं, जहां कि स्त्रियां बहुत पढ़ लिख गयी हैं, जहां कि स्त्रियां बहुत सेल्फ सपोर्टिंग हो गयी हैं, किसी पर उन्हें निर्भर नहीं होना पड़ता, यानि इंगलिस्तान में और अमरीका में, जहां कि तकरीबन हर चीज में स्त्रियां पुरुषों के बराबर हैं, वहां भी इस चीज को महसूस किया गया कि जहां तक दूसरी शादी के कानून का सवाल है स्त्री पति के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकती, और इसलिए इस कानून में इस जुर्म को कागनिजेबिल करार दिया गया है। हम नहीं समझते कि कोई पत्नी जो कि अपने पति के घर में रह रही है वह अपने पति के दूसरी शादी करने पर उस पर मुकदमा चला सकती है। कहां से वह इसके लिए हिम्मत लाएगी, कहां से वह जुरत लाएगी, कहां से पैसा लाएगी और अपने पति पर मुकदमा दायर करके फिर वह उस घर में किस तरह से रह सकेगी। इसी लिए दूसरे मुल्कों में भी चोरी वगैरह दूसरे जुर्मों की तरह दूसरी शादी करने को ; एक पत्नी के रहते हुए, कागनिजेबिल आफेंस करार दिया है। हमारे मुल्क में तो स्त्री को अभी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, यहां आज भी स्त्रियां अधिकतर अनपढ़ है और हर तरह से दूसरों पर निर्भर रहती हैं। आज अगर उनको इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो मैं समझती हूं कि हमारा वह कानून बनाना ही बिल्कुल बेकार हो जाएगा।*

जब इस किस्म की कुछ शिकायतें आयी और लोगों को मालूम हुआ कि किसी पुरुष ने एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी कर ली है और उन्होंने उस के खिलाफ

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

अदालत में मुकदमा करना चाहा तो अदालत ने उसकी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इस तरह का मुकदमा केवल पत्नी ही चला सकती है। इसलिए मैंने यह बिल इस सदन में पेश किया है कि इस जुर्म को कागनिजेबिल बनाया जाए और मैं दरख्वास्त करती हूं कि जहां भी ऐसा जुर्म हो उसमें खुद हुकूमत पुलिस के जरिए दखल दे और इसको घर में रहने वाली निःसहाय पत्नी पर न छोड़ दिया जाए, ताकि हमने इस कानून को बनाने में जो प्रयत्न किया है और हम जो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं वह हमारा प्रयत्न बेकार न जाए। चूंकि स्त्री अपने पति के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकती इसलिए मैंने यह दरख्वास्त की है कि इस अमेंडमेंट के जरिए इस जुर्म को कागनिजेबिल बना दिया जाए। इसमें यह फायदा होगा कि जहां कोई इस कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर सकेगी। अभी हालत यह है कि लोग बिना डर के इस कानून को तोड़ते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस जुर्म को कागनिजेबिल कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह कानून बिल्कुल रद्दी हो जाएगा और हम जो प्रोटेक्शन स्त्रियों को देना चाहते हैं वह उनको नहीं मिल सकेगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मिनिस्टर साहब इस अमेंडमेंट को स्वीकार करें।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898, be taken into consideration.".

श्री विश्वनाथ सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, जो संशोधन श्रीमती सुभद्रा जी लायी हैं वह देशकाल के अनुसार बहुत आवश्यकीय हैं। हमने हिन्दू विवाह पद्धति में काफी परिवर्तन किया है। इससे पहले हिन्दू समाज में इस चीज की कोई सीमा नहीं थी कि एक पुरुष कितनी स्त्रियां रख सकता है। लेकिन नए कानून में यह रखा गया है कि एक पुरुष एक स्त्री रख सकेगा और एक स्त्री भी एक ही पुरुष रख सकेगी। इस प्रकार हमने हिन्दू विवाह शास्त्र में परिवर्तन किया। नए कानून की धारा १७ के अनुसार स्त्री का या पुरुष का एक पुरुष या एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना अपराध ठहराया गया और वह अपराध इंडियन पीनल कोड की धारा ४९४ और ४९५ के अनुसार लागू किया गया। लेकिन इसके लागू कर देने से ही उसकी रोकथाम हो गयी हो ऐसा नहीं हुआ। इस कानून के पास हो जाने के बाद भी अनेकों जगह ऐसी शादियां हुई हैं और लोगों ने बिना किसी डर के कहा है कि जाब्ता फौजदारी की दफा १९८ में ऐसी रुकावट है कि स्त्री के सिवा कोई और पुरुष के खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकता। इसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार की शादियां होती हैं और उनकी रुकावट नहीं हो पाती। इसलिए जो अमेंडमेंट सुभद्रा जी लायी हैं उस पर हाउस में विचार हो। इसी आधार पर मैंने भी एक बिल पेश किया है पर वह अभी हाउस में नहीं आया है। मेरा बिल भी इसी किस्म का है, इसलिए अभी हाउस में नहीं मेरी इस बिल में सहानुभूति है।

लेकिन मुझे मालूम पड़ता है कि सरकार शायद इसको कागनिजेबिल आफेंस नहीं बनाना चाहती। अभी अभी हाउस के सामने एक दूसरा बिल आने वाला है, डाउरी प्राहिबिशन बिल। उसके अन्दर भी डाउरी देने या लेने को आफेंस करार दिया गया है और उसमें तीन बरस की सजा भी रखी गयी है लेकिन उसके अन्दर भी वही कमी है। उसमें यह साफ नहीं है कि कौन इसके खिलाफ अदालत का ध्यान आकर्षित कर सकेगा।

जाब्ता फौजदारी की दफा १९० में अदालत को अधिकार है कि वह तीन चार

तरीकों से किसी मामले को अपने अधिकार में ले सकती है, और उसकी जांच कर सकती है। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर, दूसरे अपनी जानकारी पर या किसी दूसरे के इनफारमेशन देने पर या किसी के इस्तगासे पर। लेकिन यह चीज जो दफा १९० में दी गयी है जैसे दफाएं आगे चलती हैं उस पर रोक लगती जाती है। दफा १९८ में यह रोक लगी हुई है :

"No court shall take cognizance of an offence falling under Chapter XIX or Chapter XXI of the Indian Penal Code or under sections 493 to 496 (both inclusive) of the same Code, except upon a complaint made by some person aggrieved by such offence.".

और इस में एग्रीव्ड परसन स्त्री ही होगी। लेकिन आज हिन्दू समाज की जो हालत है उसमें औरत पर ही अगर यह छोड़ दिया गया तो वह दरख्वास्त पेश नहीं कर सकेगी। इसका कारण यह है कि बहुत सी स्त्रियां स्वयं चाहती हैं कि चूंकि लड़का नहीं हो रहा है, इस लिए पुरुष शादी कर ले। वे इस के लिए राजी होती हैं। लेकिन समाज-सुधार को दृष्टि में रख कर हम चाहते हैं कि लड़का हो या न हो, किसी हालत में भी पुरुष दूसरी शादी न कर सके, जब तक कि उस की पहली स्त्री जीवित हो। वह अपनी स्त्री को डाइवोर्स करने के बाद या उस के मरने के बाद दूसरी शादी कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा है, धारा १९८ की वजह से कोई दावा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह इस में बाधक है। वह धारा इस प्रकार है—

"Provided that, where the person so aggrieved is a woman who according to the customs and manners of the country, ought not to be compelled to appear in public, or where such person is under the age of eighteen years or is an idiot or lunatic, or is from sickness or infirmity unable to make a complaint, some other person may, with the leave of the Court, make a complaint on his or her behalf:".

यह आपत्ति है। इसके रहते हुए कोई दावा नहीं हो सकता है। इस लिए वह एक कागनीजेबिल आफेन्स होना चाहिए था। लेकिन अगर वह नहीं हो रहा है, तो मैंने इस सम्बन्ध में एक दूसरा सुझाव रखा है। श्रीमती सुभद्रा जोशी का बिल सरकार के सामने है। उसको मान कर सरकार अगर इस को कागनीजेबिल आफेन्स कर दे, तो ठीक है और अगर न करे, तो अगर सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले, तो उस में जो कुछ खामियां हैं, उन को कुछ हद तक दूर किया जा सकेगा। सम्भव है कि इस से लोगों के दिलों में कुछ डर पैदा हो जाये, क्योंकि बिना डर के कानून की पाबन्दी नहीं हो सकती है। कानून तो बने हुए हैं, लेकिन अगर उन को तोड़ने पर सजा मिलने का डर न हो, तो अपराधों की सीमा कितनी बढ़ेगी, यह नहीं कहा जा सकता है।

मैंने बिल के कई अंगों पर संशोधन रखे हैं। आप की आज्ञा से मैं उन को उपस्थित करना चाहता हूं।

मेरा प्रथम अमेंडमेंट तो यह है कि पहले पेज पर लाइन १ में "एटथ" के बजाय "टेन्थ" कर दिया जाये। लाइन ३ में फिगर और ब्रेकेटस "(१)" को हटा दिया जाय और उसी लाइन में फिगर्ज "१९" के स्थान पर "१९५९" रख दिया जाये। लाइन ५ से ७ में कहा गया है कि यह बिल कब से लागू हो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बिल मूल एक्ट को अमेंड करता है, और वह एक्ट—फौजदारी—पहले से लागू है। इस लिए इन लाइनों को निकाल देना चाहिए। मूल एक्ट की धारा १९८ के दूसरे प्रोवाइजों

[श्री सिंहासन सिंह]

की जगह पर यह प्रोवाइजो रख दिया जाय, जिस का सुझाव मैंने दिया है। यह प्रोवाइजो लम्बा चौड़ा है, जिस को मैं आप की आज्ञा से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

Shri D. C. Sharma: (Gurdaspur): The hon. Member is going much beyond the scope of the Bill.

Shri Sinhasan Singh: Unfortunately, my hon. friend is only a professor who knows less of relevancy or irrelevancy....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री सिंहासन सिंह: माननीय सदस्य पढ़ाने के आदी हैं। यहां पर रेलिवेंसी और इर्रेलिवेंसी की बात है। श्रीमती जोशी ने जो बिल रखा है, मैं उस को क्लाज २ को अमेंड करने में इमदाद कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उस के प्रोवाइजों की जगह पर यह प्रोवाइजो रख दिया जाये—

"Provided further that where the person aggrieved by an offence under section 494 and section 495 of the said Code—

(a) is the wife, any relative of the wife may make a complaint on her behalf;

(b) is the husband, and he is serving in any of the Armed Forces of the Union under conditions which are certified by his Commanding Officer as precluding him from obtaining leave of absence to enable him make a complaint in person, some other person authorised by the husband in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 199B may, with the leave of the Court, make a complaint on his behalf.".

रेलेटिव को डिफाइन करने के लिए मैंने यह एक्सप्लेनेशन भी रख दिया है—

"*Explanation.*—For the purpose of clause (a) of the second proviso, 'relative' means any lineal descendant or ascendant of the wife, her brother or sister, her father's or mother's brother or sister, or any child of her father's or mother's brother or sister."

इससे रिश्तेदारों का दायरा काफी बढ़ जाता है, काफ़ी विस्तृत हो जाता है। इन में से कोई भी आदमी अदालत के सामने दावा कर सकता है। अगर सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर ले, तो बहुत हद तक यह दिक्कत दूर हो जायगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट की जरूरत न होगी अगर सरकार धारा १९० में यह अमेंडमेंट कर दे कि इन्फ़र्मेशन मिलने पर मजिस्ट्रेट को अख्तियार होगा कि वह स्वतः इस तरह के अपराधों की जांच कर सके। धारा १९० में यह कहा गया है—

"190. (1) Except as hereinafter provided, any Presidency Magistrate, District Magistrate or Sub-divisional Magistrate, and any other Magistrate specially empowered in this behalf, may take cognizance of any offence—

(a) upon receiving a complaint of facts which constitute such offence;

(b) upon a report in writing of such facts made by any police officer;

(c) upon information received from any person other than a police officer, or upon his own knowledge or suspicion, that such offence has been committed."

अगर गवर्नमेंट यह कर दे, तो शायद ज्यादा सुविधा हो जाये, लेकिन गवर्नमेंट शायद यह स्वीकार न करे: हम ने डाबरी प्राहिबिशन बिल में इस तरह का प्राविज़न

रखना चाहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस को स्वीकार नहीं किया जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह समाज का सुधार तो करना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ना चाहती है—वह उस में तेजी नहीं लाना चाहती है। ऐसी सूरत में मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार करेगी और जाब्ता फौजदारी में मुकदमा चलने में जो रुकावट है, वह कुछ हद तक दूर हो जायेगी और लोगों के मन में कुछ डर भी पैदा हो जायेगा और इस तरह हिन्दू समाज का हित होगा और हिन्दू समाज और जन-समुदाय में प्रचलित इस कुप्रथा को दूर करने में सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात है कि जब औरत कमजोरी की वजह से या किसी और रुकावट की वजह से मुकदमा नहीं करना चाहती तो फिर उस के रिश्तेदार कैसे करेंगे ?

श्री सिंहासन सिंह : औरत तो लाज और शर्म से नहीं करती है, लेकिन रिश्तेदार कुछ तो करेंगे और रिश्तेदारों का दायरा काफी विस्तृत रख दिया गया है। अगर कोई रिश्तेदार दावा कर दे, तो अदालत के सामने पुरुष के बैठाये जाने का डर है। उस के कारण पुरुष बहुत सोच-विचार के ही दूसरी शादी करेगा। हमारे यहां एक आफिसर ने हम को कहा कि मेरी बीवी बीमार है, उस के कोई बच्चा नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूं। गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर निकला हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट दूसरी शादी करेगा, तो वह सर्विस से अलग कर दिया जायगा। उस के डर के मारे उस आफिसर ने कहा कि यह तो बड़ा भारी डर है, लड़का तो पता नहीं हो या न हो, लेकिन खाने को जो मिलता है, वह भी नहीं मिलेगा। इस डर की वजह से वह दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं करते। इस से प्रकट है कि कानून का डर लोगों को अपराध करने से रोकता है।

Shri Ajit Singh Sarhadi (Ludhiana): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I quite appreciate the intention and the objective with which the hon. Mover has sponsored this amendment to section 198 of the Code of Criminal Procedure. But there is certain principle that underlines amendments to provisions of law relating to offences of the nature we are discussing. As you know and as the House knows very well, there are different categories of offences mentioned in the Indian Penal Code. Each category has got its own way of how the legal machinery is to be moved. First, there is offence against the State, with which the State is concerned and in which the State must interfere if such an offence is committed. Then there are offences against the person of an individual, offences of grievous nature which pertain to breach of the peace. There also the State must come in. As such, these offences have been declared cognisable. Thirdly, there are offences against property which are of a serious nature. There too the State comes into the picture. They have been described as cognisable offences and the police interfere there. The fourth category relates to matrimonial offences, which we are discussing.

This is one of the matrimonial offences for which a special chapter is allocated in the Indian Penal Code. The principle involved here is this, whether in the matter of matrimonial offences they should be made cognisable and the State should come into the picture at the very outset. This is what I want to draw the attention of the House to. The hon. Member who preceded me and who supported the amendment rather laid emphasis on the amendment of which he has given notice.

This is one of those offences linked with the offences mentioned in sections 494, 497 and 498 of the I.P.C. The question is: should the State come in and should the offences be made cognisable? If we see the nature of the offence—I would give

[Shri Ajit Singh Sarhadi]

dispassionate consideration to it and not be sentimental about it—I would say that nobody would like that there should be any State interference, least of all police interference. We know very well how the police machinery moves. In the case of matrimonial offences relating to individuals, the moment we allow the police to interfere by making it cognisable, as my hon. friend would like it to be, a lot of evil would creep in, upsetting to a certain extent the society as such. I say this deliberately. I quite appreciate the heinousness of the offence and I would even say that it is anti-social. I would also say that all measures should be taken in the matter of punishment to see that such an offence is put a stop to. Still, have we reached a stage in our country when the police can be allowed to interfere in a matter which relates to matrimony between parties?

Again, we have got to see another aspect. I quite see the need for giving protection to the fairer sex. I also appreciate that it is difficult for them to make a move. But section 198 of the Code of Criminal Procedure, as it at present stands, does give that protection. If the court comes to the conclusion that where the person so aggrieved is a woman who, according to the customs and manners of the country, ought not to be compelled to appear in public, then the court can authorise some other person to make a complaint on her behalf. The section is all right. When the person is below 18 year, their complaint can necessarily be prosecuted by a relation. Otherwise, anybody can come forward, take up her case with the permission of the Court and bring to the notice of the court. It is not necessary that the police should be the only forum in registering such complaints. The court itself can take it up directly. Of course, the ultimate judge of the offence is the court. When under the present provisions an individual is authorised to take the matter to a court of law for adjudication, I do not see why we should bring in the police. I say this because once we do it, the same principle will apply to all the offences pertaining to matrimony. They will also have to be made cognisable. If they are all made cognisable, you can appreciate how difficult it will be.

With these words, I would suggest that it would be better if this Bill is not pressed.

15 hrs.

चौ० रणधीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बहन सुभद्रा जोशी जी ने जो संशोधन करने वाला बिल इस सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं समझता हूं कि हमारे सामने असल सवाल यह है कि जिस ढंग की समाज हम बनाना चाहते हैं, उस ढंग की समाज बनाने के लिए हम सही ढंग अपनाने के लिए तैयार है या नहीं और साथ ही साथ जो कानून हमने बनाया है उसको दिल से लागू करना चाहते है या नहीं चाहते हैं। जैसा कि मेरे साथी अजित सिंह सरहदी साहब ने पुलिस का डर दिखाया है, मैं उनसे इस बात में सहमत नहीं हूं। आज हमारी वह पुलिस नहीं है जोकि सन् १९४७ से पहले हुआ करती थी। आज वह एक वैलफेयर स्टेट की पुलिस है, कोई पुलिस स्टेट की पुलिस नहीं है। मैं यह भी मानने के लिए तैयार हूं कि कभी कभी वह गलती भी कर सकती है लेकिन उसका भी हमें इलाज करना होगा, उसके बारे में भी सोचना होगा।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज कोई तीस बरस हो गए हैं जबकि शारदा एक्ट बना था जिसके द्वारा हमने छोटी उम्र की शादियों पर रोक लगाई थी। बावजूद इस बात के कि उसको बने हुए तीस साल हो गए हैं और बावजूद इस बात के कि इसके बारे में हमने काफी प्रापेगंडा किया है, वह सिर्फ कागज पर ही है, इनईफैक्टिव

है, अगर उसी हद तक इनईफेक्टिव नहीं है जिस हद तक पहले था तो काफी हद तक यह इनईफेक्टिव है। मैं समझता हूं कि जो कानून हम हिन्दू विवाह के सम्बन्ध में पास कर चुके हैं उसको गवर्नमेंट दूसरा शारदा एक्ट बनने नहीं देना चाहती है। अगर वह चाहती है कि वह बने तो दूसरी बात है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हिन्दू समाज में कोई भी आदमी जब तक उसकी पहली बीवी जीवित है, दूसरा विवाह न करे, तो इसको रोकने के लिए हमें जरूरी कदम उठाने होंगे।

यह हो सकता है कि कुछ आदमी यह सोचते हों कि पुलिस को घरेलू मामलात में दखलअंदाजी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वह भी यह जानता है कि पुलिस की दखलअंदाजी घरेलू मामलात में करवाना मुश्किलात पैदा करना या उनको बुलाना होता है। बहरहाल हमने इस देश में दो मन तक अनाज रखने को गैर-कानूनी करार दिया था और पुलिस को अख्तयार दिया था कि वह दो मन अनाज रखने वाले को पकड़ कर तीन चार या पांच साल तक की सजा करवा सकती है। यह हमने इसलिए किया कि हम चाहते थे कि देश के अन्दर होर्डिंग न हो, उसे हम बन्द करना चाहते थे। जब दो मन अनाज के लिए किसी भाई की आजादी में पुलिस को दखलअंदाजी करने की इजाजत दी जा सकती है, तो मैं समझता हूं कि जब कि एक बहन की आजादी का सवाल हो, उसके राइटस का सवाल हो, उसमें पुलिस दखलअंदाजी क्यों न करे?

उपाध्यक्ष महोदय : दो मन अनाज और दो औरतों को क्या आप एक जैसा समझते हैं?

श्री० रणवीर सिंह : मैं नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि दो औरतों को रखना उससे कहीं बड़ा जुर्म है और जब दो मन अनाज जैसी छोटी चीज के लिए पुलिस को दखलअंदाजी करने का मौका दिया जाता है, उसको गैर कानूनी करार दिया जाता है, दो सेर चीनी के लिए पुलिस को मौका दिया जाता है कि वह लोगों की आजादी में दखलअंदाजी करे, तो जो भाई दो औरतों से शादी करना चाहता है एक बहन के जिन्दा रहते, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हम पुलिस की दखलअंदाजी से क्यों घबरायें। अगर हम यह कहते हैं कि पुलिस की दखलअंदाजी बहुत बुरी है, बहुत ही अवांछनीय है, तो वह तो सभी चीजों के लिए बुरी और अवांछनीय ही हो सकती है यह नहीं कि कुछ के लिए बुरी और कुछ के लिए अच्छी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें पुलिस को यह अख्तयार देना चाहिये। हो सकता है कि कहीं वह कोई खराबी करे। लेकिन पंडित पन्त जी के रहते, जोकि आज हमारे होम मिनिस्टर हैं, पुलिस को यह हौसला नहीं हो सकता है कि वह कहीं किसी किस्म की नाजायज कार्रवाई करे। पुलिस का यह हौसला नहीं हो सकता है कि किसी की अपनी बातों में, किसी के घरेलू मामलात में गलत तौर पर जा कर वह दखलअंदाजी करे और अगर कोई आदमी दूसरी स्त्री के साथ विवाह करता है, और कसूर करता है या कसूर करने की कोशिश करता है, तो उसे भी कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाना चाहिए और यह जो आफेंस है, इसे कागनिजेबिल होना ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे बहुत मुख्तसिर तौर पर बोलें।

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): I want only to submit, while supporting the principles of the Bill, whether the object desired by the hon. Mover of the Bill will be served by this Bill alone. Here, the amendment will give the effect that a right is given for the aggrieved party, where the aggrieved party is a woman, to lodge a complaint with the police, and the police

[Shri Narayanankutty Menon]

may make the complaint on her behalf to the court. In such a case whether the desired object will be served by this Bill is a doubtful factor.

The first point I wish to submit is that the Bill involves a broader principle as to what are the offences which should be made cognizable and what offences should not be made cognizable. When originally the Penal Code and the Criminal Procedure Code were enacted, the approach of the then law-makers was not so much in consonance with the social trends that we today want to have in this country, but it was a matter of expediency and administration, from the viewpoint of the British who had then been the rulers of India. At that time, when offences were divided into categories, the first test or consideration to be had as to whether an offence was to be made cognizable or not, was the sum total of the commitment of the offence and the injury which was inflicted as a result of that offence. The injury will be related to the private property or the body of the individual against whom the injury is committed. The society as a whole and the State are interested in protecting the right that has been conferred on those who have been injured. If the principle of the Bill is accepted, it would go one step further to recognise the institution of matrimony and all the laws that have been enacted in relation to matrimony.

The question of bigamy being declared as an offence is a question whereby both the society and the State are interested. If it is agreed that an offence committed against the institution of matrimony is something in which the State are the society are interested, certainly, it would be making a discrimination if that particular offence against the institution of matrimony is not recognised as a cognizable offence.

When an offence is understood as a non-cognizable offence under the ordinary criminal law that exists in India today, the primarry meaning is that in the committing of that offence or in the injury which comes as a result of that offence, the State is not interested and the society is not interested. But offences against matrimony are certainly the direct interest of the society and of that State. Therefore, my hon. friend the Minister in the Ministry of Home Affairs cannot find any objection in accepting the principle of the Bill even though the Bill as it is actually worded will not serve the purpose.

I will go a bit further and then conclude. All the offences against matrimony which are defined in the Penal Code must be made cognizable because we cannot leave the committing of these offences and compromising on these matters to the private individuals concerned. I will give an example, to show whether that will be in consonance with the fundamental principles of jurisprudence as far as offences in matrimony are concerned. The State is very much interested in seeing that bigamy is prevented and it is unconscionable for society and also for the State today to allow bigamy because that will wreck the institution and the very basis of society today. If that is accepted now, a husband who is powerful and who could have all his financial and material influences over his wife, could by getting the consent of his wife go and marry a different woman and compel his first wife to live along with the other woman provided that woman does not go to the court. Today it is not a question of the difficulty of the first wife alone. It is a question of nullifying the entire provisions of the Penal Code in relation to the offences against matrimony, because, once the police is not given a mandatory power to act in such cases, there can be a question of collusion. In many cases, collusion is happening: the husband who is married, with the consent of his wife,—not the willing and reasonable consent but a consent which is influenced

by material circumstances,—could marry another woman, a second or third wife, and make all of them live together and have a say. When such a circumstance happens, when the husband could compel the first wife to agree for the second marriage, that will be an insult upon the Penal Code itself. That will be an insult upon the law and order of this country and, therefore, the police should be given mandatory powers to take action when an offence is committed. Therefore, I request my hon. friend, the Home Minister, to accept the principles of this Bill and also to review that part of the Penal Code where offences against matrimony are defined, and consider whether it is not possible for the Government to bring in an amending Bill to amend the Criminal Procedure Code whereby all the offences against matrimony could be made cognizable and all the misuse could be avoided.

Lastly, the difficulty of the women also is very much in question. Whenever there is any temperamental difficulty with the first wife, or when the husband finds that he could not put up with his first wife, he goes and marries another girl. And immediately a husband takes into his head that he is going to marry a second wife, the first wife will have no position in society, as far as material circumstances are concerned,—for it at all she already had any means of livelihood, the earnings so far would have gone into the hands of her husband—and she would not be able to go to a court of law, the cost of litigation being what it is, and her husband will not get any punishment under the law. So, on that ground also, the Home Minister should consider this Bill so that the purpose of the enactment could be implemented. And if he is not prepared to accept this Bill with its limitations, he should review the whole chapter of offences relating to matrimony, and all the offences should be brought under the purview of cognizable offence so that the law, as it is intended, will be implemented and the culprits who violate the law are brought to book.

Shri D. C. Sharma: The Act that we are going to amend was passed in 1898. Now the distance between the time of 1898 and 1959 is very great. But I do not talk of distance only in terms of years. I talk also of distance in terms of social changes that have taken place during these sixty years. India has seen so many social revolutions during these years, and our social conceptions of every kind have undergone, if not revolutionary changes, at least radical transformation.

What was our conception of depressed classes at that time? What was our conception of the age of consent at that time? What was our conception of the marriageable age for girls and boys at that time? What was our conception of marriage at that time? Those conceptions were there, and they were good for these times; I do not deny that. But, as we have developed the social dynamics in this country, we have revised our ideas about these things.

This Bill refers to marriage. There was a traditional view of marriage. I do not say that the traditional view of marriage was bad in any way. That was the view then held. Now, after some years, we have found that that view has got to be changed. Therefore, we have passed legislation to that effect. We have tried to give a new conception to marriage, in accordance with our traditions, social traditions, in accordance with our old spiritual inheritance and also in accordance with the new changing circumstances.

Now, it should have been within the competence of the Government to revise all the Acts bearing on that, after we have passed our Bill regarding marriage. They should have done these things automatically. Government should have set up some committee to see what consequential changes have to be introduced in our Indian Penal Code in order to bring it in line with those changes which we

have introduced. But it has done nothing of the kind.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): They move very slowly.

Shri D. C. Sharma: Our Indian Penal Code is a monument of legal fossilism and I am sorry that, though it is good in parts, I think it requires radical changes.

An hon. Member: Overhauling.

Shri D. C. Sharma: Now I would say that the hon. Mover of this Bill, Shrimati Subhadra Joshi, who is a social worker of repute, who knows the condition of wives and also of husbands and who has brought this Bill, last time gave a very pathetic account of the sufferings of some wives at the hands of their husbands. I think some of our hon. friends have forgotten that. She pinpointed the necessity for introducing this kind of a thing. People may think that there is some kind of contradiction between what is said on the one side and what is said on the other side. I know our Constitution gives social and political equality to women in all fields, yet I would say that though constitutionally they may be equal of men in some ways, socially they are not equals of men up to this time. They are educationally backward. They are not as highly educated as large numbers of men are. There are also other circumstances which cripple their sense of equality. This is a concession made to women in order to offset against those things which are recurrent up to this time. They may disappear after some years.

As things are constituted in our country now, a Hindu woman will find it very difficult to bring a complaint against her erring husband. She will feel a great deal of hesitation in doing so. Therefore what is individual responsibility should be changed into social responsibility now. And when it is a question of social responsibility the Government will come into the picture. So, to turn this offence into a cognisable offence does not only mean some kind of a legal change, but it means a concession to the prevailing social climate in our country. It is in consonance with the social change that is coming over this country. Now I think that something like that should be done.

I have a feeling—I may be wrong—that some kind of an understanding has taken place between the hon. Home Minister and the hon. Mover of this Bill and the hon. Mover of the amendment.

Shri Braj Raj Singh: Outside the House?

Shri D. C. Sharma: Between them. I have this feeling because the hon. Home Minister walked up to the hon. Mover of the amendment and in the beginning the hon. Mover of the Bill walked upto the hon. Home Minister. So I think that there has been some kind of an agreement arrived at between these three persons.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member has also been seen moving to the hon. Mover of the Bill.

Shri D. C. Sharma: I did not follow you, Sir.

Shri Braj Raj Singh: There is some understanding between you and the hon. Mover of the Bill.

Shri D. C. Sharma: My understanding is only with the hon. Mover of the Bill. What about the hon. Home Minister? What about the hon. Mover of the amendment? So, I am only having a bilateral agreement. But this is a trilateral agreement. I was very respectfully submitting that this will be a very wholesome thing in the context of our changing social pattern of life, in the context of our changing conception of marriage, —I know some persons will say that I am saying something against this or that—which, without changing the old conception of sanctity or of social usage, is also in conformity with the times. Therefore, I support this Bill which has been put forward by my sister Shrimati Subhadra Joshi and I hope that the hon. Home Minis-

ter will be good enough to give this much needed relif to our sisters who are in trouble for no fault of theirs.

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजादी मिलने के इतने दिन बाद भी गृह-मंत्रालय और हिन्दुस्तान की पूरी सरकार की तरफ से हमारे जीवन के जो कुसुम हैं, जिनकी तादाद हमारे देश में भी और दुनिया में भी आधी है उनको ऊपर उठाने के लिए कोई विशेष कोशिश नहीं की गई है। जो हमारे पिछड़े हुए अंग हैं, चाहे वे औरतें हैं चाहे समाज के दूसरे अंग, उन्हें ऊपर उठाने के लिए हमें विशेष प्रयास करना चाहिए था और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और न ही होनी चाहिए। जो पिछड़े हुए अंग हैं, उनको हमें कुछ विशेष सुविधाएं देनी चाहिए थीं कानूनों के जरिये से तथा दूसरे जरियों से ताकि वे दूसरे अंगों के बराबर आ सकते।

यह सर्व-मान्य है कि हमारे देश में महिलायें पुरुषों के बराबर स्थान नहीं रखती हैं। उन्हें एक ऐसे समाज में रहना पड़ा है जिस में वे पुरुषों द्वारा सताई जाती रही हैं, दबाई जाती रही हैं, उनको बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं और इस वास्ते जब भी कोई विशेष अधिकार प्रदान करने की कोई बात हो तो उसका स्वागत होना चाहिए। इस अर्थ में जो पुलिस को अधिकार दिए जाने की बात है कि जब कोई बहु-विवाह करके कानून को तोड़ना चाहता हो तो उसमें पुलिस को दखलअंदाजी करने का अधिकार हो, स्वागत लायक चीज है।

लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिस से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको ऊंचा उठाने की कोई बात हो? हिन्दुस्तान की सरकार में १३ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, क्या उनमें से एक भी पद पर महिला को मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? इसी तरह से दूसरे जो मन्त्रिगण हैं, उनमें कितनी महिलायें हैं? हमारी लोक सभा में भी कितनी महिलायें हैं। इसमें मैं अकेली सरकार को ही दोष नहीं देना चाहता पूरी समाज का ही इसमें दोष है। आधा जिन का हिस्सा होना चाहिए उनको एक चौथाई भी नहीं दिया गया है, १।१० भी मुश्किल से हम दे पाये हैं। इस तरह से हम देखते हैं हमारी समाज में जो पिछड़े हुए हैं, उनका पिछड़ापन दूर करने की सरकार भी कोई कोशिश नहीं कर रही है, सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि जो विधेयक यहां पेश किया गया है उसको गृह-मंत्री महोदय स्वीकार करने की कोशिश करें और अगर उसको वह स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सिद्धान्त रूप में यह बात मानी जानी चाहिए कि इस तरह के विशेष अधिकार आज की परिस्थितियों में महिलाओं को दिए जाने चाहियें। यहीं पर हमें रुकना नहीं है, इसके आगे जा कर भी, लोक सभा में चाहे उनको लाने का सवाल हो चाहे मंत्री परिषद में लाने का सवाल हो, चाहे सरकारी सेवाओं में लाने का सवाल हो, हमको आगे बढ़कर उनके लिए विशेष सुविधायें उपलब्ध करनी होंगी। उनके लिए इन सभी के लिए विशेष अधिकार देने की बात होनी चाहिए। जब तक हम उनको इस तरह के विशेष अधिकार नहीं देंगे तब तक विधान ने जो समता का अधिकार दिया है पुरुषों और स्त्रियों को वह पवित्र इच्छा मात्र ही रह जाएगा। समता लाने का जो प्रश्न है, जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाएगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि गृह-मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करें और उचित निर्णय पर पहुंचें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब इस तरह के अफेंसिस को जिन का इस बिल में जिक्र किया गया है, कागनिजेबिल बनाने की बात होती है, पुलिस को अधिकार देने की बात होती है, तो बरबस ही हमारा ध्यान अपने देश की पुलिस व्यवस्था

[श्री बजराज सिंह]

पर चला जाता है। जब पुलिस इस प्रकार की हो कि तब तक हिलने का नाम न लेती हो जब तक कि कुछ उसे मिल न जाता हो, उसको भेंट स्वरूप प्राप्त न हो जाता हो, तो क्या उसमें सुधार नहीं होना चाहिए? जब हम इसको कागनिजेबल बनायेंगे, इसमें पुलिस की दस्तंदाजी हो, इसको प्रोवाइड करेंगे, तब फिर यह भी हमारे गृह-मंत्रालय को सोचना होगा पुलिस के विषय में, जो इस सदन में और बाहर भी चर्चा का विषय बनती है और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, कि किस तरह से उसका सुधार सम्भव हो सकता है इसे सुधारने की कोशिश करनी होगी। पुलिस का आज जिस प्रकार का रवैया है, अगर वही जारी रहता है तो मुझे भय है कि इस कानून का जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। इस वास्ते मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री महोदय पुलिस की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे।

श्री पद्म देव (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में हमारी सब परम्पराओं में से विवाह सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध है। जब विवाह संस्कार होता है तो वहां भी पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इस में यह मंत्र पढ़ा जाता है:

मगस्ते हस्त मग्रभीत सविता हस्तमग्रभीत।
पत्नी त्वमसि धर्मणाहम् गृह पतिस्तव ॥

पति और पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यह वचन देते हैं। पत्नी कहती है कि मैं धर्मपत्नी हूं और पति कहता है कि मैं गृह पति हूं। वैसे भी पंजाब में खास तौर पर वह चीज चलती है कि जब कभी किसी से कोई चीज पूछी जाय तो वह कहता है कि मैं घर से पूछता हूं।

न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते

घर घर नहीं होता बल्कि जो घरवाली होती है वह गृह कहलाती है। बहुत बड़ा मान और सम्मान है पत्नी के लिये। बीच में जब समाज के अन्दर बहुत कमियां आती रहीं तब इस पवित्र सम्बन्ध के अन्दर सदा सुधार होता रहा उसके लिये हारीत संहिता और दूसरी संहिताओं में इस किस्म की बातें आती रही हैं जिनके द्वारा स्त्रियों के जो अधिकार हैं उन की पूर्ण रक्षा की जाती रही है। आज के जमाने में भी जब मर्द कुछ उच्छृंखल हो गये हैं, होते रहे हैं, तब भी इस किस्म के विधान हमारे यहां पारित हुए हैं कि कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अब विवाह तो नहीं कर सकता अगर कोई एक विवाह कर चुका है। इस के बाद प्रश्न यह होता है कि कानून तो हम ने बना लिया लेकिन फिर भी मर्द दूसरी शादी कर लेता है। अब सोचा जा रहा है कि इस के लिये कोई ऐसा कानून होना चाहिये जिस से पुलिस ढूंढती रहे कि कहां ऐसा काम हुआ है। अगर पुलिस को ढूंढने के लिये यह बात दी जाय तो थोड़ी सी दुःखदायी बात इस में नजर आती है। इस लिये कि जब अपने देश में स्त्रियों की बढ़ती हुई संख्या में भी उन के लिये ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, हर जगह पर उन की सुरक्षा के लिये कानूनी गारेन्टियां हैं। आज अपनी लोक सभा में या दूसरी जगहों में स्त्रियों को किसी न किसी रूप में सहायता की जा रही है। स्त्रियों ने अपनी नाना प्रकार की संस्थायें बनाई हुई हैं और अपने अधिकारों के लिये लड़ती हैं। आज वह सब जगह अपने अधिकारों के लिये झगड़ कर सकती हैं और आज का समाज भी स्त्री को ऊंचा ले जाना अपना धर्म इस लिये समझता है कि आज जो हमारी मां है अगर वह अच्छी होगी तो सारा देश अच्छा हो जायेगा। मूल में जो हमारी शिला है, समाज को ऊंचा ले जाने के लिये उस का अच्छा होना जरूरी है। आज कहा जाता है कि स्त्रियों के लिये विशेष विधानों की आवश्यकता है। हम कुछ कमजोरियों को ले कर यहां आते हैं और कहते हैं कि हालांकि आज उतना पर्दा नहीं है जितना पहले था, स्त्रियां पढ़ी लिखी भी हैं लेकिन स्त्रियां अपने घरों से निकल नहीं सकतीं

और अपनी बातों को कह नहीं सकती हैं इस लिये उन के लिये हम कुछ करें। पुलिस ढूंढती रहे कि कहां ऐसा काम हुआ है कि किसी ने दूसरी शादी कर ली है। इस का परिणाम क्या होगा? आज सभी लोग जानते हैं कि किसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जब कोई महकमा बनाया जाता है, तो मैं दुःख के साथ कहता हूं, हम कुछ लोगों के लिये करप्शन का एक और साधन तैयार करते हैं। इस चीज के बारे में भी मैं यह समझता हूं कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक साधन निकाल रहे हैं। सब लोग एक तरह के नहीं होते। स्त्रियां भी अच्छी हैं और मर्द भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी खराबियां तो होती रहेंगी। जब पुलिस वाले उस को ढूंढने निकलेंगे तो पता नहीं किस तरह से काम चलेगा। मान लीजिये कि किसी के यहां पति और पत्नी दो व्यक्ति हैं। अगर उन की खेती बाड़ी का काम उन लोगों से नहीं चल पाता है तो वह किसी और को बुलाते हैं। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में होता है पत्नी अपनी बहन से कहती है कि अकेले हमारा खेती बाड़ी का काम आसानी से नहीं चल पाता है इस लिये तुम आ जाओ। वह अपनी बहन को ले आती है और दोनों काम करते हैं। अब पुलिस वहां आयेगी और कहेगी तुम ने यह खराबी की वह खराबी की। और कुछ नहीं तो पहले पुलिस सारे परिवार को कम से कम अपने पास तो ले ही जायेगी। उन से कुछ न कुछ दक्षिणा तो ले ही लेगी। मैं उस चीज को नहीं मानता जैसा अभी हमारे चौधरी साहब ने कहा बहुत जोरों से कि पंत जी के वक्त में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गलती करे। अपराध हर वक्त हो सकता है। अगर राम के वक्त में यह हो सकता है, अगर युधिष्ठर के वक्त में हो सकता है तो पंत जी के वक्त में भी हो सकता है। यह चीजें ऐसी नहीं हैं जो हो नहीं सकती। होती रहती हैं और सब लोग उन को जानते हैं। तो इस कानून को पास करने के बाद पहली चीज जो होगी वह यह कि पुलिस दो दफा मालिक के घर में जा कर पहले से ही भेंट वसूल कर लेगी। इस के बाद दूसरा मौका आयेगा। इस तरह से उस घर को नर्क बनाने की कोशिश की जायेगी। छोटी मोटी बातों में कभी-कभी झगड़ा पैदा हो जाता है। एक पति पत्नी होते हैं तो भी झगड़ा हो जाता है, जब दो पत्नियां होंगी तब झगड़ा होना लाजिमी ही हो जायेगा और झट से पुलिस को दखल देने का मौका मिल जायेगा। इस लिये इस विधेयक ने एक गृहस्थ के घर को नर्क बनाने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं होगा। आज हम ने कानून बना लिया कि कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी शादी की बात यह है कि औलाद की खातिर हो सकती है, या किसी और काम के लिये हो सकती है। इस के लिये तो फिर यह जरूरी है कि आप इस तरह का विधान बनायें कि कोई आदमी किसी हालत में भी दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि उस की पहली स्त्री जीवित हो। इस लिये यदि आज यह विधान किया जाता है कि पुलिस वाले ही जा कर दखल दें और इस चीज का पता लगायें तो उस के लिये यह ढंग अच्छा होगा, यह मैं नहीं मानता। अगर किसी स्त्री को कष्ट होगा तो उस के भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन में से कोई न कोई इस चीज को पुलिस तक ले जाने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे ही। जब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक पुलिस के जरिये से इस किस्म की बुराइयां दूर हो सकती हैं, मैं यह कदापि नहीं मान सकता। आप स्वयम् देखिये कि हम ने छोटी उम्र की शादियों को कानून से निषिद्ध करार दिया, लेकिन आज भी बहुतेरी इस तरह की शादियां होती रहती हैं और बड़े-बड़े नेताओं के सामने होती हैं, लेकिन मैं ने तो कभी नहीं देखा कि कोई शिकायत करता हो। इस लिये जब तक समाज में सामूहिक रूप से क्रान्ति नहीं होती तब तक इस प्रकार के बिलों से कुछ नहीं होगा और यह बुराइयां होता रहेंगी। इस लिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन रक्खा गया है उस में कोई अच्छाई नहीं है बल्कि उस से बुराई घटने के बजाय बढ़ने की ज्यादा

[श्री पद्म देव]

सम्भावना है । इस तरह की छोटी मोटी बातें, मेरे ख्याल में हमें सदन के सामने नहीं लाना चाहिये ।

श्री आगड़े : (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के मूवर ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रक्खा है वह अधूरा है इस लिये मैं उस की स्पिरिट का स्वागत तो करता हूं, मगर मेरा स्वागत करना अधूरा स्वागत होगा । वह अधूरा स्वागत इस लिये होगा कि प्रस्तावक के इस विधेयक में केवल महिलाओं का ही जिक्र किया है, दूसरों का जिक्र नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप करेंगे ।

श्री आगड़े : मैं यह कहना चाहता था कि हमारे यहां जब हिन्दू विवाह अधिनियम विचार के लिये आया तो मैं ने कई बार इस सदन में जिक्र किया था कि हिन्दू समाज में जो यह अत्याचार होता है वह दोनों ओर से होता है । गरीबी के कारण उद्योगों का क्षेत्र बड़ा हो जाने के कारण और शहरों की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आज मैं महसूस करता हूं कि यह जो अडल्ट्री के मामले होते हैं वह आज भारत में बहुत ही प्रचंड रूप से बढ़ते जा रहे हैं । हम ने हिन्दू विवाह अधिनियम बनाया लेकिन उस के बनाने के बावजूद आप किसी भी अदालत में जाइये, वहां जो भुगतने वाला होता है उस की सुनवाई नहीं होती । उसे वहां से हताश हो कर आना पड़ता है । जब केस कम्पाउंडेबल होता है उस के पहले ही उस पर प्रेशर डाला जाता है और उस के बाद मामला ठंडा हो जाता है । इस लिये जिस उद्देश्य को ले कर हिन्दू विवाह विधेयक बना था वह अधूरा ही रहा । यह जो अधिनियम है जो कि भारतीय दंड विधान के अनुसार धारा ४६४ और ४६५ के बारे में रक्खा गया है उस में अब भी पुलिस किसी को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती । मेरा तो यह कहना है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो भी इस कानून को उल्लंघन करता है उस को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सके, यानी वह काग्निजबल आफेन्स हो जब ऐसा होगा तभी हम इस अत्याचार को दूर कर सकते हैं । मैं उदाहरण देता हूं एक गरीब मनुष्य है, वह नागपुर में रहता है उस की औरत को कोई धनवान आदमी भगा कर ले जाता है, कलकत्ते या कानपुर की किसी गन्दी बस्ती में छिपा कर कई वर्ष तक रखता है । अभी इस समय जो भुगता हुआ आदमी है वह किस अदालत में जाये ? कैसे मामला पेश करे ? इस मामले का फैसला होने में ही दो तीन बरस बीत जाते हैं । १००, २०० रु० खर्च करने के बाद शायद उसे कुछ फायदा मिल जाये । लेकिन एक मामूली आदमी के पास क्या जरिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप क्या चाहते हैं, दूसरी शादी की इजाजत दे दी जाये ?

श्री आगड़े : मैं यह नहीं चाहता कि दूसरी शादी करने दी जाये, शासन इस में हस्तक्षेप करे । उस को काग्निजेबल आफेन्स बनाया जाये । पुलिस इस मामले में काम्पिटेंट करार दी जाये और अगर कहीं से सहायता न मिल सके तो आदमी कह सके कि मैं पुलिस की शरण में जाता हूं । पुलिस का सम्बन्ध हर व्यक्ति से रहता है और वह चाहे तो एक दूसरे से फिर सम्बन्ध स्थापित कर सकती है । इसलिए इस मामले को जब तक पुलिस के हाथ में नहीं दिया जाएगा तब तक हम इसमें सफल नहीं हो सकते । इसीलिए मैं कहता हूं कि यह बिल अधूरा है । इसको कागनिजेबिल आफेन्स बनाया जाए और जो कोई भी एग्रीव्ड हो उसको पहली रिपोर्ट

पर ही मामले को पुलिस अपने हाथ में ले ले और उसको कागनिजेबिल आफेंस मानकर अदालत में पेश करे। यही मुझे कहना है।

Shri Mulchand Dube (Farrukhabad): I appreciate the reasons that have led my sister to sponsor this Bill. But somehow or other, the feeling is left on me that this Bill is not going to serve the purpose it is intended to serve. My reason is this. As far as I recollect, in case of an adultery, there is no punishment prescribed. The punishment is merely that the woman or the man will have the right to get a divorce. But in case of bigamy, there is a punishment prescribed. The question is whether this will prevent bigamy or this will encourage adultery. If it encourages adultery, I suppose it will be a worse thing for society. The one thing that seems to be necessary is that adultery should be punishable It should be made an offence; in that case, this Bill will also be a useful Bill and will be sufficient to punish people who resort to the offence of bigamy. But if we do not make adultery punishable, this Bill is not going to serve any useful purpose. A man may not marry a second time at all. He may keep a woman in his house without marrying her. Then what is the remedy? I submit there is no remedy provided, so far as the present law is concerned.

Therefore, what is needed is that adultery should be made an offence. When that is done, bigamy also would be punishable in that way and would be made a cognisable offence. But so long as we do not make adultery a cognisable offence, it is no use having this Bill. It may do some harm even, but it is not going to do any good. That is what I feel. I hope the hon. Mover and the hon. Minister will consider this aspect of the matter also and then proceed.

श्रीमती उषा मेहरा (सीतापुर): श्रीमान् जी, मैं बहिन सुभद्रा जोशी के बिल का पूरी तरह समर्थन करती हूं। लेकिन इसमें एक सवाल बहुत जरूरी है वह यह कि अगर इसको हम कागनिजेबिल आफेंस करते हैं तो इससे समाज में क्या नुकसान होगा, यह भी हमको देखना चाहिए।

जैसा कि अभी एक भाई ने कहा कि जब विवाह होता है तो अग्नि के सामने लड़का और लड़की दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि वह एक दूसरे के साथ वफादार होंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, दुःख सुख में साथ देंगे, और ऐसा हो एक गृहस्थ के लिए करना ठीक भी है। यह सब करने के बाद भी हम देखते हैं कि पुरुष को समाज ने इतना अधिकार दे रखा है कि वह एक शादी के बाद दूसरी स्त्री को भी ले आता है और दूसरी शादी कर लेता है। अभी एक भाई ने कहा कि अक्सर ऐसा भी होता है कि स्त्री खेती वगैरह के काम के वास्ते अपने पति की दूसरी शादी करवाती है। यह भी हमने देखा है। लेकिन हम समझते हैं कि समाज के सुधार के वास्ते, समाज को आगे बढ़ाने के वास्ते यह बिल्कुल जरूरी है कि एक गृहस्थी में एक पुरुष और एक स्त्री ही हों। मुझे खुशी है कि यह बिल आया। इससे यह नतीजा निकल सकता है।

लेकिन मुझे अपनी बहिन से एक बात कहनी है और वह यह अगर इसको कागनिजेबिल आफेंस बना दिया जाएगा तो यह बड़ी तकलीफदेह चीज हो जाएगी। अभी हमारे समाज में काफी शिक्षा नहीं है और समाज अभी काफी उन्नति नहीं कर पाया है। ऐसी हालत में अगर इसको कागनिजेबिल आफेंस बना दिया गया तो घरों में बड़ी तबाही दिखायी देगी। इसलिए मेरा कहना है मिनिस्टर साहब से कि इसको कागनिजेबिल आफेंस न बनावें बल्कि इसमें कुछ ऐसे प्रावीजन कर दें कि कुछ दूसरे लोग भी जिनको कि इस चीज पर ऐतराज हो, इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर सकें। अगर इसको कागनिजेबिल कर दिया जाएगा तो हमारे घरों में पुलिस आएगी और गिरफ्तारियां होंगी। और जो हमारे घरों की शान्ति है वह भंग हो

[श्रीमती उमा नेहरू]

जाएगी। मैं इस विचार की हूं कि हमारे देश में घरों में जितनी शान्ति है उतनी उन मुल्कों के घरों में नहीं है जिन्होंने आज बड़ी तरक्की कर ली है। जो हारमनी और शान्ति हमारे घरों में है वह उन मुल्कों में नहीं है।

आप समाज के इतिहास को देखें तो आपको मालूम होगा कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। लेकिन आखिर समाज इसी नतीजे पर पहुंचा है कि एक पुरुष के एक स्त्री होनी चाहिए और एक स्त्री के एक ही पुरुष होना चाहिए तभी गृहस्थी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हमको अपने समाज को दुरुस्त करना है तो हम इस कानून में ऐसा कुछ रख सकते हैं कि जो दूसरे रिश्तेदार हों या कोई दूसरे लोग इस पर ऐतराज कर सकें। जब हम कानून में यह चीज रख देंगे तो जिन लोगों को इस पर ऐतराज होगा वह खुद कारंबाई करेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि इसको कागनिजेबिल आफेंस न बनाया जाए और इसीलिए मैं अपनी बहिन से कहना चाहती हूं कि और जितने चाहें वह रेस्ट्रिक्शन रखें लेकिन इसको कागनिजेबिल आफेंस न बनावें क्योंकि ऐसा करने से घरों की हारमनी और शान्ति गड़बड़ हो जाएगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल हमारी बहिन सुभद्रा जी ने पेश किया है, जहां तक उसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्टस एंड रीजन्स का सवाल है बिला शक मेरी उनसे हमदर्दी है। लेकिन बिल उसूल को लेकर यह बिल पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता।

जहां तक मैं ने अपने दोस्तों की बहस सुनी है उससे मालूम होता है कि जो कानून है उसमें मर्द और औरत के हकूक यकसां होने चाहिए लेकिन दरअस्ल यह बिल इस की इजाजत नहीं करता कि उनके हकूक में कोई फर्क है। अब पहले यह शादी का कानून नहीं था तो हिन्दू ला में इस बात की इजाजत थी कि मर्द चाहे जितनी शादियां कर सकता था और उस वक्त मर्द और औरत के हकूक बराबर नहीं थे। पुराने हिन्दू ला के मुताबिक हिन्दू कई शादियां कर सकता था और मुसलमान तो अब भी चार शादियां कर सकता है। अब कानून बनाकर हिन्दू ला में यह तरमीम कर दी गयी और औरत और मर्द को शादी के मामले में बराबर हकूक दे दिए गए हैं। जहां तक कार्रवाई करने का सवाल है दफा १९८ में मर्द और औरत दोनों कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले में मर्द और औरत के हकूक यकसां हैं। जिस तरह से दफा १९८ मर्द की सूरत में हायल होता है उसी तरह से औरत की सूरत में भी हायल होता है। तो जहां तक यह सवाल है कि मर्दों और औरतों के लिए कानूनी हकूक बराबर हों तो वह तो बराबर हैं इसमें कोई शुबहा नहीं है। कानून मर्दों और औरतों के लिए बराबर है। इस बिना पर इस बिल को लाना वाजिब नहीं है।

सवाल सिर्फ यह है कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : जोगड़े साहब ने कहा है कि अगर १९८ के लिए करते हैं, तो ४९८ के लिए भी कीजिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ४९७ और ४९८ में फर्क है। बल्कि मुझे यह अर्ज करना है कि ४९७ में तो औरत को सजा ही नहीं होती है, सिर्फ मर्द को सजा होती है। पिछले दिनों यहां पर एक साहब एक बिल लाए थे। मैं ने उस को अपोज किया था और कई दूसरे साहबान ने भी अपोज किया था और कहा था कि दरअसल यही कानून रहना चाहिए कि औरत को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वेलिटी को देखा जाये तो उस को भी सजा हो जानी चाहिए

विधेयकों का हम ने जो कानून बना रखा है, उस में और ४९७ और ४९८ में क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के जो प्राविजन्ज है, वे भी बड़े डिसक्रिमिनेटरी हैं—वे मर्दों के मुकाबले में औरतों के हक में हैं। लेकिन मैं यह बहस नहीं कर रहा हूं और न मैं यह चाहता हूं कि जो कुछ ये कानून हैं, उन को तब्दील कर दिया जाये और औरतों पर ज्यादा पाबन्दी कर दी जाये और मर्दों को ज्यादा छूट दे दी जाये। यह मेरा केस नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों की खिदमत में यह जरूर प्वायंट आउट करना चाहता हूं, जो कहते हैं कि मर्दों के मुकाबले में औरतों के साथ ज्यादा सख्ती है और इक्वेलिटी नहीं है, कि यह बात नहीं है। दफा १९९ इस तरह है :——

"No Court shall take cognizance of an offence under section 497 or section 498 of the Indian Penal Code, except upon a complaint made by the husband of the woman on his behalf at the time with the leave of the Court by some person who had care of such woman on his behalf at the time when such offence was committed:"

आगे चल कर, अगर शिकायत करने वाला शख्स १८ वर्ष से नीचे का हो, तो गार्जियन की बात सुनी जाती है और फिर उस के बाद सर्टिफिकेट दिए जाने का भी प्राविजन है, जो कि १९९ए में है। ४९७ और ४९८ में दरअसल इनइक्वेलिटी है, लेकिन उस इनइक्वेलिटी को दूर करने का सवाल पैदा नहीं होता है। दरअसल कानूनदानों ने जिस बिना पर यह सारे का सारा चैप्टर बनाया है, उस को ठीक तरह से एप्रिशिएट नहीं किया जाता है। इस चैप्टर में जो प्रतिबन्ध लगे हैं, उन की शुरुआत आम तौर पर १९५ से होती है। जो और खास तरह के प्रतिबन्ध हैं, उन को जाने दीजिए, लेकिन १९५ में जो बड़े बड़े जरायम हैं, जो पब्लिक जस्टिस के मुताल्लिक है, फोर्जरी वगैरह के मुताल्लिक हैं, झूठी गवाही देने के मुताल्लिक हैं, उन सब के बारे में यह प्रतिबन्ध लगाया गया, जो कि आम जरायम में नहीं है और वह प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कोई पब्लिक आफ़िसर या कोई अदालत शिकायत नहीं करेगा, तब तक कोर्ट कागनीजेंस, नहीं ले सकती, हालांकि देश का आम ला यह है और असली कानून यह है कि चूंकि ये सब जरायम फ़िलवाके एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होते, बल्कि वे स्टेट के खिलाफ होते हैं और स्टेट के मायने हैं सारी जेनरल पब्लिक, इस लिए १३ बाम्बे, में, जो कि बड़ा पुराना ला है, यह कहा गया है कि हर एक आदमी हर एक जुर्म की कम्पलेंट कर सकता है। यह जेनरल ला आफ़ दि लैंड है, सिवाये उन के जो इस दफ़ा में आये और जिन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है कि इन के बारे में कम्पलैंट नहीं हो सकती। इन में कितने ऐसे जरायम है, जिन में इस तरह की कार्यवाही की गई है। मिसाल के तौर पर छोटी उम्र की शादी को लीजिए। सिर्फ़ वही शख्स तक्लीफ़ नहीं उठाते जो कि छोटी उम्र में शादी करते है, बल्कि सारे देश पर उस का असर पड़ता है, सब चीजों पर उस का असर पड़ता है, लेकिन हर एक आदमी जा कर उसके मुताल्लिक शिकायत नहीं करना चाहता। इसी तरह से और कितने जरायम हैं, जिन के मुताल्लिक ऐसा ला बना हुआ है। चुनाचे दफ़ा १९७, जो कि रूल्ज वगैरह के मुताल्लिक है, १९८, जिस का अभी मैं ने जिक्र किया और १९९, ये सब इस में आते हैं। यहां तक कि रिश्वत वगैरह के मामले भी इस में आते हैं। पिछले दिनों हाउस में क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड की तब्दीली हुई थी। उस वक्त भी झगड़ा हुआ था कि ऐसी सूरतों में क्या किया जाये, क्यों न पब्लिक को इजाजत हो। यहां पर दो चीजें देखनी पड़ती हैं। आम तौर पर मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि ऐसे जरायम के मामले में, जिन का असर सिर्फ़ इंडिविजुअल्ज पर न पड़े, बल्कि आम तौर पर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सोसाइटी पर पड़े, ज्यादा प्रतिबन्ध नहीं लगने चाहिए, लेकिन उस का इलाज यह नहीं है कि पुलिस वाले को शिकायत करने की इजाजत दे दी जाय या उस आफेन्स को काग्नीजेबल बना दिया जाये। अभी कई साहबान ने शिकायत की, और दुरुस्त तौर पर शिकायत की, कि किसी जुर्म को काग्नीजेबिल बना देने से वह जुर्म ऐसा नहीं बन जाता कि जिस में जरूर सजा हो। लेकिन शायद मुस्तगीस को तो सजा पहले ही दी जाती है। आज के जमाने में बहुत थोड़े मुकदमात हैं। जिस में पुलिस की इस तरह की इमदाद होती है, जैसा कि लोग ख्याल करते हैं। पुलिस को कम्पलेनेन्ट से पहले पीस किया जाता है, फिर जो मुकदमात बनाए जाते हैं, वे बिल्कुल इन्साफ से नहीं बनाए जाते हैं, कि किसी को तकलीफ नहीं होगी। सर्फ किसी मुकदमे को काग्नीजेबल बना देना, या उस की सिफारिश कर देना ऐसा स्मूथ सा कायदा नहीं है कि जिस से कम्पलेनेंट या एग्रीव्ड पर्सन को ज्यादा इमदाद पहुंचती हो। अगर ला का मंशा यह दुरुस्त है कि ऐसे जरायम पर उस लिए प्रतिबन्ध लगाया जाय, ताकि फ्रिवोलस कम्पलेंट न की जाय, या प्राइवेट मामले इस में न आयें, तो फिर यह ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी की डीफेमेशन हुई। डीफेमेशन बुरी चीज है। और यह ठीक नहीं है कि अच्छे अच्छे लोगों को डीफेम किया जाये, लेकिन डीफेमेशन के लिए भी यही कानून है। जिस की डीफेमेशन की जाती है, सिर्फ वही झगड़ा कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। ये इतने जरायम हैं, जो कि १९५ से ले कर यहां तक आते हैं। कन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। पर्सनल कन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। १९५ में कन्टेम्प्ट आफ लाफुल अथारिटी आफ पब्लिक सर्वेन्ट्स है और १९८ में तीन तरह के आफेन्स हैं—प्रासीक्यूशन फार ब्रीच आफ कन्ट्रैक्ट, डीफेमेशन और आब्सेसिव अर्नेस्ट मैरिज। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस के लिए एक तरकीब यह हो सकती थी कि इन आफेन्सिज के बारे में, जैसा कि और मुल्कों में कायदा है, डायरेक्टर आफ पब्लिक प्रासीक्यूशन्ज मुकर्रर किया जाता। उन के पास वे शिकायतें जाती हैं और वे प्रापर केसिज की एन्क्वायरी कर के आगे चलाते हैं। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि यहां पर प्राईवेट पर्सन्ज के लिए प्रासीक्यूट करने में बड़ी तकलीफ होती है, जिस की वजह यह है कि यहां के लोग बहुत मालदार नहीं हैं इसलिए उन के पास इस का खर्चा नहीं होता है। उस का इलाज और हो सकता है। मेरी बहन ने जो शिकायत की है, उस के बारे में एक ही फिक्रा उन्होंने लिखा है—

"That means if a husband marries a second time in the life time of his first wife the woman or some body on her behalf has to lodge a complaint to a magistrate. This would mean that the woman would be required to spend money in litigation."

उन को सिर्फ इतनी ही शिकायत है कि लिटीगेशन में रुपया खर्च करना होगा। इस का इलाज तो यह हो सकता है कि ऐसे प्रापर केसिज में खुद अपना बयान देने में खर्च का सवाल नहीं है, सिर्फ गवाहों को तलब करने का सवाल है, इस लिए अदालत को इस बारे में आर्म किया जा सकता है। अब भी अदालत पुलिस केसिज में, वारंट केसिज में प्रासीक्यूटर के गवाहान व मुलजिम के गवाहान का खर्चा देती है। अदालत को अख्तियार दिया जा सकता है कि ऐसे केसिज में अदालत उन को खर्चा दे दे।

श्रीमती सुभद्रा जोशी: वकील को पैसा देना पड़ता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: अगर ठीक अदालत हों, तो वकील के करने की जरूरत नहीं और ऐसे केसिज में मामला बड़ा सीधा

होगा—उस में सिर्फ यह होगा कि एक शख्स जो कि कम्पलेनेन्ट है—वह औरत हो या मर्द—अपनी शादी को साबित करे और फिर वह साबित करे कि दूसरी शादी हुई है या नहीं। यह ऐसा सिम्पल केस होगा कि वकील करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आनरेबल मेम्बर का बिल क्या करेगा? इस में यह दर्ज नहीं है कि इस आफेन्स को काग्नीजेबल बना दिया जाय। इस में उस का कोई जिक्र नहीं है। इस में सिर्फ यह लिखा हुआ है —

"Provided further that when the person so aggrieved is a woman, the police may make a complaint on her behalf, if information relating to the commission of the offence of bigamy is given to the police."

इस में सिर्फ यह दर्ज है कि औरतों के बजाय पुलिस शिकायत कर सकती है। इस के आगे कुछ भी दर्ज नहीं है। उस में यह दर्ज नहीं है कि पुलिस उस के लिए वकील करेगी या उस के लिए गवाह मुहैया करेगी, या प्रासीक्यूशन करेगी। यह सब इस में दर्ज नहीं है। सिर्फ कम्पलेंट करने का सवाल है। अगर पुलिस वाले को कम्पलेंट की इजाजत दे दी जाये, तो जरा उस की खराबियां मुलाहिजा फरमायें। पुलिस वाला उस औरत की तरफ से कुछ भी ब्यान दे सकता है, ऐसा ब्यान दे सकता है, जिस से आदमी पर मुकदमा न बने और फिर औरत क्या करेगी? और भी ज्यादा खराबी हो जायेगी। एक ऐसे शख्स को अख्तियार देना, जिस पर औरत को एतबार न हो और जो औरत का एजेन्ट नहीं है, और भी खराब बात है। कानून ने १९८ में इस के लिए जो एक्सेप्शन्स दी हैं, वे निहायत माकूल हैं। बिल्कुल गलत है यह कहना ठीक नहीं है कि औरत के सिवा कोई मुकदमा नहीं कर सकता। अब भी ला यह है, जो आरिजिनल दफा १९८ में दिया गया है :

"No Court shall take cognizance of an offence falling under Chapter XIX or Chapter XXI of the Indian Penal Code or under sections 493 to 496 (both inclusive) of the same Code, except upon a complaint made by some person aggrieved by such offence:"

अब एग्रीव्ड पर्सन के आने की जरूरत नहीं है। अव्वल तो यह कहना मुश्किल है कि एग्रीव्ड पर्सन कौन-कौन है—सिर्फ औरत ही एग्रीव्ड नहीं है, और भी रिश्तेदार एग्रीव्ड हो सकते हैं। लेकिन इस के सिवा प्रोवाइजो कितना आम और कितना अच्छा बनाया गया है। उस में यह कहा गया है—

"Provided that, where the person so aggrieved is a woman who according to the customs and manners of the country, ought not to be compelled to appear in public, or where such person is under the age of eighteen years or is an idiot or lunatic, or is from sickness or infirmity unable to make a complaint, some other person may, with the leave of the Court, make a complaint on his or her behalf:"

मैं अर्ज करता हूं कि ऐसी सूरत में, बीमारी की सूरत में, इनफर्मिटी की सूरत में इसको इजाजत मिल जाती है कि केस को प्रासीक्यूट कर सके। आम तौर पर जो औरत में इंटिरेस्टिड होंगे, वे यह भी देखना चाहेंगे कि इन्साफ हो और वे जाकर इसको करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपर केसिस में कि सोशल रिफार्मर जैसी की हमारी बहन हैं, खुद जाकर अगर इसको करना चाहें .....

श्रीमती सुभद्रा जोशी : नहीं जा सकती हूं क्योंकि कोर्ट मना कर देती है। अभी सिंहासन सिंह जी ने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे किसी कोर्ट का पता नहीं। इसमें यह लिखा हुआ है :—

"some other person may, with the leave of the Court, make a complaint on his or her behalf".

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लेकिन कोर्ट को यह जरूर देखना होगा कि आया आदमी को इजाजत दी जावे। दफा १६६ ए और १६६ बी में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है कि कोर्ट आबजैक्ट कर सकती है। गार्जियन जाकर कह सकता है कि इजाजत दी जाए या न दी जाए। इस सैक्शन में कहीं दर्ज नहीं है कि अगर कोई इंटिरेस्टिड है, तो उसको इजाजत न हो। शारदा एक्ट जब पास किया गया तो कुछ तजवीज की गई थी कि जो रिफार्म आर्गेनाइजेशन्स हैं, वे उसके अन्दर हिस्सा लेकर लोगों के मुकदमात करें और साबित करें। चन्द एक ऐसी आर्गेनाइजेशन्स बनीं और उन्होंने मुकदमात किए और लोगों को छोटी उम्र की शादी करने से रोकने की कोशिश की। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की आर्गेनाइजेशन बने जो कि इस तरह के काम करना चाहे, इस तरह के पब्लिक के काम करना चाहे तो वह जिस के खिलाफ पर जा रही हो, उसकी रजामन्दी जरूरी तौर पर हासिल कर ले। रजामन्दी का होना बहुत लाजिमी है। अगर किसी औरत की किसी के साथ शादी हो गई है और कोई शख्स चाहता नहीं था कि उसके साथ उसकी शादी हो और दुश्मनी की वजह से वह आ कर मुकदमा कर देता है और औरत चाहती नहीं है कि वह मुकदमा करे, तो इसको कानून ठीक नहीं समझता है। इस वास्ते कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं और इन प्राइवेट मामलात में हर किसी को दखल देने का अधिकार नहीं दिया गया है। जिनके अन्दर ये प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, वहां पर पब्लिक पालिसी है। पब्लिक पालिसी चाहती है कि ऐसे मुकदमात में ठीक आदमी ही मुकदमा चलावें। मैं यह नहीं कहता कि कि जिन केसिस में जिन्हीं लोगों को सजा मिलनी चाहिए उन केसिस में उनको सजायें न मिलें और मैं नहीं चाहता कि ऐसे केसिस में कोई रुकावट पैदा हो।

लेकिन आज के दिन यह ऐसी चीज है कि अगर इसको ज्यादा फरोग दिया गया तो इसका नतीजा यह होगा कि बेहूदा केसिस होने लग जायेंगे। उस औरत की जिसकी बाबत यह कहा जाता है कि वह एलीज्ड है, डाइवोर्स का हक हासिल है और अगर ४६४ का जुर्म साबित हो जाता है तो काफी बायस हो जाती है, ऐसी सूरत में कौन है जो उस औरत को एक्सप्लायट करना चाहेगा। वह वही करेगा जो कि उससे शादी करना चाहता हो या जो किसी दूसरी तरह के ताल्लुकात उससे रखता हो। आज की सोसाइटी का यह बड़ा भारी जुर्म है कि अगर कोई औरत बदचलनी करती है, एडल्टरी करती है, तो ४६७ के तहत वह जुर्म नहीं है, इसके अन्दर सिवाय खाविन्द के किसी को इजाजत नहीं है कि वह कुछ कर सके। क्या यह पब्लिक पालिसी नहीं है कि हर आदमी को ऐसे मामलात में मुकदमा करने का हक हासिल हो, लेकिन कानून ने इजाजत नहीं दी है और मैं समझता हूं कि दुरुस्त तौर पर नहीं दी है। अगर इस तरह की इजाजत दे दी गई होती तो बेशुमार तौर पर जुर्म बढ़ने शुरू हो जाते और सोसाइटी में आफत आ जाती, चाहे औरत चाहती या न चाहती।

अब अगर पुलिस को जो अधिकार देने की मांग की गई है, वह अधिकार दे दिया जाए तो पुलिस घर-घर जाकर आफत मचा देगी। जो दावा करने वाले होंगे उनकी तादाद की बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता है। कम्पलेंट करने का भी जहां तक सवाल है उसमें भी पुलिस घरों में जाकर आफत मचा देगी। इसलिये जो पब्लिक पालिसी है इस पब्लिक पालिसी को हटा भी दें और मुकदमा करने की हर शख्स को इजाजत भी दे दें तो उसमें कोई सहूलियत नहीं रहेगी। पुलिस के कागनिजेबल आपने भी इनको करार नहीं दिया। आपने सिर्फ यह कहा है कि वह कम्पलेंट कर सके, कागनिजेबल नहीं बनाया जाए। कम्पलेंट करने से उसका कोई फायदा नहीं होगा और इससे प्रासीक्यूशन भी किसी तरह से आगे एडवांस नहीं होगा। इससे औरत

का भी फायदा नहीं होगा। आप अगर चाहती हैं तो आप कह सकती थीं कि ४९३ से ४९६ तक जितने जुर्म हैं, उन सब में उसकी इजाजत दे दी जाए। लेकिन आपका यह मंशा नहीं है। आप नहीं चाहती हैं कि ४९७ और ४९८ में इस कदर सख्ती बरती जाए। इस वास्ते इन सब चीजों को देखते हुए और सोसाइटी की हालत को देखते हुए और यह भी देखते हुए कि कानून की मंशा क्या है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस किस्म का बिल पास कराना जैसा कि मेरी बहन चाहती हैं, वाजिब नहीं होगा।

16 hrs.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): Mr. Deputy-Speaker, the question raised by the hon. Mover of this Bill is very important and has to be considered from different points of view. On the one hand, I might point out to this House that the relevant sections in this respect in the Criminal Procedure Code were considered very carefully and from one point of view in particular, namely, that though, unfortunately, here and there, offences are committed in respect of religion, all the same, one has to be very careful in defining the limits of such offences and laying down certain restrictions for the purpose of maintaining the sanctity of married life. That was the reason why in this particular section 196, it has been made very clear that whenever there are certain offences relating to religion, the offences can be taken cognisance of only on the complaint of the person aggrieved. I would request all hon. Members to understand that in this respect, we ought to move as slowly as possible, though consistently with modern trends. I have pointed out why the law was so very careful in seeing to it that in respect of marriages, third persons do not come in and disturb the married life of the parties thereto. That was the reason why certain principles were laid down and in that section itself, it has been made clear that, under certain circumstances, others can act or file a complaint. Therefore, I would request this House to note very carefully what has been stated in section 198 in particular, and in the proviso (i). That has been maintained as it is. This is one view which has to be fully appreciated in view of the need to maintain the stability as also the sanctity of married life.

Marriage is meant for bringing both the persons together. They have to live happily. They have to accommodate themselves to the wishes and desires of others. Then only married life will be happy.

Shrimati Subhadra Joshi: Not a second marriage.

Shri Datar: I am pointing out the whole thing. That is why we ought to be very careful in certain circumstances. There are exceptions to the rule and exceptions have to be provided for only with the greatest consideration. That is one side of the picture.

On the other hand, the hon. Lady Member, Mover of this Bill has pointed out certain difficulties with which all of us have to sympathise. There are occasions where, when a wife is living, the husband makes a second marriage. In these circumstances, for example, she is not in a position to finance a criminal complaint or a prosecution. Then, it is quite likely that she will have to suffer from a number of intolerable miseries. Therefore, that view also has to be taken into consideration. So, there were a number of difficulties in the Bill as framed by the hon. Member, and it was very difficult to accept it as it was.

Secondly, the Code of Criminal Procedure as also the Indian Penal Code have been before the Law Commission. They are considering whether any further amendments are necessary. All the same, this was a

[Shri Datar]

matter of some importance, but there was a genuine difficulty in meeting the object that the hon. Mover has in bringing forward this Bill.

I have already pointed out to the hon. Mover, and I would mention here, that in the form in which this Bill has been brought forward, it would not be in the interests of society to accept it, and therefore, Government would not accept the Bill as it is.

In particular, we should fully appreciate what hon. Members Shrimati Uma Nehru and Shri Padam Dev have rightly pointed out. They have stated that the proviso introduced by the hon. Mover in clause 2 may have far-reaching effects or consequences beyond what the hon. Mover has contemplated. If, for example, a complaint is allowed to be filed by the police, there is a likelihood of harassment being caused to the aggrieved party herself and certain undesirable results might follow. That is a view which has also to be taken into account, because here it is clearly stated:

> "Provided further that when the person so aggrieved is a woman, the police may make a complaint on her behalf, if "information relating to the commission of the offence of bigamy is given to the police."

So, virtually it means a cognizable offence. Therefore, the matter would remain in the hands of the police, and it is likely that there might be some complaints received and at least the aggrieved lady might feel that her case is not being conducted as properly, as vigorously by the police as she could have it done by herself. So, this clause as framed by the hon. Mover is not acceptable at all.

I pointed out to her that we must be very careful in making amendments in such laws as the Code of Criminal Procedure which have to a large extent stood the test of time. Only a few years ago we made some amendments, but this particular amendment was neither considered feasible, nor was it brought forward. In 1956, as you are aware, a number of important amendments were made in the Code of Criminal Procedure. That would show that what my hon. friend Shri D. C. Sharma has stated is not correct. Whenever there are certain desirable trends in society, whenever certain reforms are to be brought about by means of legislation, Government always examine such questions with the care that they deserve. Therefore, I would submit that this is a question which has to be approached very carefully, and we should take into account the object with which such a restriction was laid down in section 196.

I am very happy to note that there are certain amendments before the House to which I shall make only a general reference. Amendment No. 5 by Shri Sinhasan Singh in respect of section 494 states that the complaint can be filed either by the aggrieved party, that is the wife, or by certain of her relatives. This appears to be perfectly reasonable because it would meet these very hard cases that the hon. Mover has in mind. Therefore, I am inclined generally to support the various amendments, the main amendment as also the consequential amendments, that have been proposed by Shri Sinhasan Singh. If they are taken into account, then they will meet with the particular cases of hardship that the hon. Mover has in view. If the hon. laidy Mover is prepared to support the amendments that Shri Sinhasan Singh has brought forward, then that would meet with her own requirements and at the same time would not go so far as she wants us to go.

Mr. Deputy-Speaker: Why should the hon. Minister say 'with her own requirements'?

Shri Datar: I did not put it in that way. I meant the requirements of the Mover. She is in a representative capacity, not in a personal capacity. On behalf of all the aggrieved

women, she has brought forward this Bill in a representative capacity, and, therefore, my appeal is to her in her representative capacity.

Therefore, I would point out that the attitude of Government, so far as this Bill is concerned, is this. The Bill as it is cannot be acceptable in the intererts of the society itself; but to meet the particular viewpoint that the hon. lady Member has, if the underlying principles behind the amendments proposed by Shri Sinhasan Singh are accepted, then I would have no objection to this Bill being accepted for consideration.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस बिल के बारे में हमारे बहुत से सदस्यों ने अपनी राय दी । मैं उनकी बहुत कृतज्ञ हूं, इसलिये कि सभी लोगों ने इसका सपोर्ट किया । मैं एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहती हूं । अभी एक माननीय सदस्य श्री पद्म देव जी ने जो कुछ कहा उससे ऐसा मालूम हुआ कि उनको अभी तक यह भी पता नहीं है कि बहु विवाह कानूनन जुर्म करार दिया गया है । उन्होंने कहा कि उनके यहां अगर लड़का नहीं होता है तो दूसरी शादी कर ली जाती है । खेती के लिये दूसरी औरत घर में आ जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात कह कर चले गये, इसलिये मूवर सहिबा जो कहेंगी उसका उनको पता नहीं चलेगा ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उन्होंने कहा कि कल कोई ऐसा भी कानून बन सकता है जिससे यह मना हो जायेगा । उन को मालूम होना चाहिये कि यह कानून बन चुका है कि खेती के लिये कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, बच्चा नहीं होता तो दूसरी शादी नहीं हो सकती । चूंकि वह एक बड़ी भारी एरिया से ताल्लुक रखते हैं इसलिये मैं अर्ज करना चाहती हूं ताकि उन को मालूम हो जाये और वे कहीं यह गलती न कर बैठें क्योंकि यह कानून..........

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसकी काफी एहतियात ली कि इस बारे में उनको कहीं पता न चल जाय । वह इसलिये उठ कर चले गये कि वह आप की बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उन को यह मालूम नहीं है कि हमने पहले ही दूसरी शादी करना जुर्म करार दे दिया है । इसलिये इसका कोई सवाल ही नहीं है ।

हमारे एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अगर बदकिस्मती से वह कानून पास हो गया, अमेंड हो कर भी, तो बहु विवाह एक जुर्म हो जायेगा पर जो अडल्ट्री है वह एनकरेज हो जायेगा । उन से भी मुझे यह निवेदन करना है कि इस बिल के अन्दर जो अन्डरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं उसको भी अगर ऐक्सेप्ट कर लिया जाय तो एक विवाह के बाद दूसरा विवाह नहीं होगा । अगर कोई कानून इसको स्वीकार कर ले कि अडल्ट्री क्रिमिनल आफेन्स है तो मैं समझती हूं कि तमाम देश के लोग इस का बहुत स्वागत करेंगे । यह कहना ठीक नहीं है कि इस बिल को पास करने से अडल्ट्री रेगुलराइज हो जायेगी । बहु विवाह को जुर्म करार देने के बाद अगर उसका इलाज नहीं हो सकेगा तो कानून पास करने से कोई फायदा नहीं है ।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि एक बहुत बड़ी फंडामेंटल बात हमारे आनरेबल मेम्बर भार्गव जी ने उठाई कि बहुत से कानून ऐसे हैं जो काग्निजेबल जुर्म नहीं हैं, जैसे फोर्जरी नहीं है, डिफैमेशन नहीं है । मैं अर्ज करना चाहती हूं कि बहु विवाह को वे इन जुर्मों की तरह से न समझें । एक स्त्री के लिये, अगर उसके घर में चोरी हो जाय, उसके घर में डाका पड़ जाय, तो कोई

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

बहुत बड़ी बात शायद नहीं होगी, अगर उसको कोई डिफेम कर जाय, कोई उसके लिये हजारों बातें कर जाय, वह उसके लिये इतना बड़ा सवाल नहीं होगा जितना जीवन और मरण का सवाल उसके लिये यह हो जायेगा कि उसका पति दूसरी शादी कर ले । स्त्री के लिये यह कहा जाता है कि उसके घर में डाका पड़ जाय, आग लग जाय, खानदान तबाह हो जाय तो वह एक तरफ और उसका पति दूसरी शादी कर ले वह दूसरी तरफ है । इसलिये मैं अर्ज करूंगी कि माननीय सदस्य इन सब जुर्मों को एक सा देखना बन्द कर दें । एक तरफ हम स्त्री के लिये पतिव्रत की बात कहते हैं और दूसरी तरफ पति दूसरी शादी कर ले यह कैसे ठीक हो सकता है ? इसका दूसरे जुर्मों के साथ मुकाबला की जाये तो दोनों चीजों में बड़ा भारी अन्तर है ।

हमारे माननीय सदस्यों ने शक जुबहा बतलाया कि पुलिस के आने से बहुत खराबी हो जाने का खतरा है । मैं उन सदस्यों को तो उत्तर दे देती पर जब हमारे होम मिनिस्टर साहब ही कहते हैं कि पुलिस को अधिकार देने से खराबी पैदा हो सकती है, तो फिर मैं क्या कहूं । यह हमारी पुलिस के लिये बड़ी शर्मनाक बात है अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब उनके लिये ऐसा सोचें क्योंकि मैं तो समझती थी कि सारे सदस्य ही ऐसा कहेंगे ।

Shri Datar: She has not understood what I said. I said complaints are likely to come. I used the words very carefully.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं तो यह समझती थी कि सारा हाउस यह कहेगा कि पुलिस को अख्तियार नहीं दिया जा सकता, ऐसा करना गलत होगा, लेकिन होम मिनिस्टर तो पुलिस को कम्प्लीमेंट ही करेंगे और कहेंगे कि नहीं उसको अख्तियार दिया जा सकता है । पर पर आज मुश्किल यह हो गयी है कि जो क्रिमिनल हैं, जो दूसरी शादी करके जायज कमिट करता है पुलिस उससे भी ज्यादा खराब समझी जाती है । पुलिस को एक क्रिमिनल के खाइम तक में दखल देने लायक नहीं समझा जाता । ऐसी हालत में मेरे सामने और कोई चारा नहीं है सिवा इसके कि मैं सिंहासन सिंह जी का अमेंडमेंट मंजूर कर लूं और जो भी सदन से हिन्दुस्तान की बहिनों के लिये मिल रहा है उसको ले लूं और उसके लिए सदन को धन्यवाद दूं । इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार करती हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2—(*Amendment of section 198*)

Shri Sinhasan Singh: I beg to move:

Page 1,

for clause (2), *substitute*—

"2. *Amendment of section 198.* In section 198 of the Code of Criminal Procedure, 1898, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

'Provided further that where the person aggrieved by an offence under section 494 of the said Code—

(a) is the wife, any relative of the wife may make a complaint on her behalf;

(b) is the husband, and he is serving in any of the Armed Forces of the Union under conditions which are certified by his Commanding Officer as precluding him from obtaining leave of absence to enable him

to make a complaint in person, some other person authorised by the husband in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 199B may, with the leave of the court, make a complaint on his behalf.

Explanation.—For the purpose of clause (a) of the second proviso, 'relative' means any lineal descendant or ascendant of the wife, her brother or sister or her father's or mother's brother or sister' ". (Admt. 5).

I have spoken on it and I need not repeat my arguments.

Mr. Deputy-Speaker: This amendment is before the House. Shall I put it to the vote of the House.

Pandit Thakur Das Bhargava: Sir, will you allow me to say a word about the amendment also?

इस अमेंडमेंट में जो रिलेटिव की तारीफ की गयी है तो इसमें सिर्फ औरत के खानदान के रिलेटिव ही आते हैं। खाविन्द के रिश्तेदार इसमें नहीं दिये गये हैं। जब औरत अपने खाविन्द के घर आती है तो खाविन्द के रिश्तेदार औरत के भी रिश्तेदार हो जाते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट में औरत के भाई और बहिन वगैरह को तो इजाजत दी गयी है लेकिन उसकी तरफ से खाविन्द के रिश्तेदारों को कारवाई करने का कोई हक नहीं दिया गया है। हालांकि असल बात यह है कि अगर कोई आदमी दूसरी शादी बमौजूदगी पहली औरत के करके लाता है तो उसके भाई भतीजों को और दूसरे रिश्तेदारों को भी उतना ही बुरा मानना चाहिये जितना कि औरत के रिश्तेदारों को क्योंकि वह भी तो यह सोचेंगे कि यह आदमी हमारे खानदान में एक औरत के रहते हुए दूसरी औरत ले आया। इसलिये कोई वजह नहीं है कि औरत के खाविन्द के भाई या भाई के लड़कों को और दूसरे रिश्तेदारों को औरत की मदद करने का हक क्यों न दिया जाए। एक तरह से तो जो यह अख्तियार दिया गया है उससे औरत का जो अब तक अख्तियार था वह कम होता है क्योंकि अभी तो कोई शख्स भी ऐक्शन ले सकता है अदालत की आज्ञा से।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो तभी हो सकता है जबकि औरत इनकमं हो या ल्यूनेटिक हो या ऐसी कंडीशन हो कि खुद एक्शन न ले सकती हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सिर्फ इनफरमिटी की ही बात नहीं है। अगर कोई औरत परदे में रहती हो और आम तौर पर बाहर न आती हो या बीमार हो या ल्यूनेटिक हो, या १८ बरस से कम उमर की हो ऐसी हालत में कोई भी शख्स एक्शन ले सकता है। अब जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें तो इस दायरे को और भी कम किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आदमी दूसरी शादी करेगा तो औरत के रिश्तेदारों को ज्यादा बुरा लगेगा।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : खाविन्द के रिश्तेदार तो मुकदमा दायर करके फिर उसको वापस ले सकते हैं। ऐसी हालत में औरत के लिये मुश्किल हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एतराज किया है कि अगर खाविन्द के रिश्तेदारों को भी यह हक दिया जाएगा तो वे साजिश कर सकते हैं और मुकदमा वापस ले सकते हैं

पंडित ठाकुर दास भार्गव : औरत के रिश्तेदार भी तो यह साजिश कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर औरत का रिश्तेदार यह करेगा तो वह आदमी से क्षमा जेकर करेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता हूं कि जो लोग कार्रवाई कर सकते हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए। इसमें यह भी किया जा सकता है कि जो औरत परदे में रहती है या जिसके लिये खुद कार्रवाई करना मुमकिन नहीं है वह जिस आदमी को चाहे मुकर्रर कर सकती है। मेरे ख्याल से यह बेहतर होगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कोर्ट जिस आदमी को ठीक समझे उसका यह अख्तियार दिया जा सके। मैं समझता हूं कि अदालत की इजाजत काफी सेफगार्ड होगा। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह ज्यादा वाजिब होगा अगर इसमें यह कर दिया जाए कि कोई आदमी जो औरत में इंटरेस्टेड फील करता हो उसको यह अख्तियार औरत दे सके। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से ज्यादा सहूलियत हो जाएगा।

Mr. Deputy-Speaker: Would it do if it is made to read like this?

"Provided where the person aggrieved is a woman who is an idiot or lunatic or from sickness or infirmity or any other cause unable to make a complaint."

Shri Datar: Perhaps it may be found that so far as the first proviso is concerned it relates to offences under sections 493 to 496 and this proviso which is being introduced is only for an offence under section 494 which does not cover this.

Mr. Deputy-Speaker: As the Minister likes. I have no objection. Then, I put this to the vote of the House. The question is:

Page 1,—

for clause (2), *substitute*—

"2. *Amendment of section* 198.—In Section 198 of the code of Criminal Procedure, 1898, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

'Provided further that where the person aggrieved by an offence under section 494 of the said Code—

(a) is the wife, any relative of the wife may make a complaint on her behalf;

(b) is the husband, and he is serving in any of the Armed Forces of the Union under conditions which are certified by his Commanding Officer as precluding him from obtaining leave of absence to enable him to make a complaint in person, some other person authorised by the husband in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 199B may, with the leave of the court, make a complaint on his behalf.

Explanation.—For the purpose of clause (a) of the second proviso, 'relative' means any lineal descendant or ascendant of the wife, her brother or sister or her father's or mother's brother or sister." (Admt. 5).

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: I shall put clause 2, as amended, to the vote of the House. The question is:

"That Clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 —(*Short title, extent and commencement*)

Mr. Deputy-Speaker: There are amendment Nos. 2, 3 and 4, of Shri Sinhasan Singh.

Shri Datar: They are only formal amendments.

Mr. Deputy-Speaker: Yes.

Amendments made:

Page 1, line 3, *omit* '(1)'.

Page 1, line 4, (i) *omit* 'of'; and (ii) *for* '19' *substitute* (1959).

Page 1, omit lines 5 to 7

(Admts. 2, 3 & 4).

[*Shri Sinhasan Singh*].

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* "Eigh'h Year" *substitute* "Tenth Year" (Amdt. 1).

[*Shri Sinhasan Sinha*].

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

Shrimati Subhadra Joshi: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.27 hrs.

MINIMUM WAGES (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 14) by Shri Kanhaiya Lal Balmiki

Shri Balmiki (Bulandshahr—Reserved—Sch. Castes): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Minimum Wages Act, 1948 be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, जबकि देश की उत्तरी सीमा पर चीन की लिप्सापूर्ण दृष्टि है, ऐसे अवसर पर देश में जो औद्योगीकरण का पिछड़ापन है और भारी उद्योगों को बढ़ावा देने का जो प्रश्न है, उनकी ओर सरकार का ध्यान जा रहा है। लेकिन आज देश में श्रमिकों की जो अवस्था है, उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार हो, उन को न्यायपूर्ण मजूरी मिले और जितनी वे मेहनत मन से करते हैं, उस मेहनत का, उनकी गाढ़े पसीने की कमाई का उनको ठीक ठीक फल प्राप्त हो। उस बात को दृष्टि में रखते हुए मैंने यह छोटा सा, सन् १९४८ के मिनिमम वेजिज एक्ट की चौदहवीं धारा को छूते हुए एक संशोधनात्मक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, जिसका कि मशा यह है—

"provided that where no provision exists for the determination of over time wage, it shall be double the ordinary rate of wages."

१९४८ के विधेयक में किसी प्रकार भी इस तरह का कोई मार्ग निर्देशन नहीं किया गया है कि जिससे यह समझा जा सके कि मिनिमम वेजिज के रेट की तरफ या घण्टों की तरफ कोई ध्यान दिया गया है। उस विधेयक के द्वारा यह कार्य केवल राज्य सरकारों की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकारों ने इस दिशा में इच्छा या अनिच्छापूर्वक जो ध्यान दिया है, उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। मैं भंगी जांच कमेटी के सम्बन्ध में और उस तरह दूसरे रूप से भी सारे राज्यों में घूमा हूं। इस लिए मुझे इन वेजिज के रेट्स में, और घंटों में डिसपैरिटी और इन इक्वैलिटी आफ वेजिज की झलक दिखाई देती है। यह खेद का विषय है कि इस विधेयक को पास करने के बारह वर्ष के बाद भी, देश की बारह साल की स्वतन्त्रता के बाद भी, इस प्रकार की डिसपैरिटी और इस प्रकार की इन इक्वैलिटी आफ वेजिज देश में दिखाई दे। वेज रेट्स के सम्बन्ध में